न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/20/2019

अपीलार्थीः–
कमल सिंह चौहान पुत्र मानसिंह जाति राजपूत निवासी म0न0 308 मुंसी महारानी की छतरी के पास लादिया मौहल्ला अलवर।

प्रत्यर्थीः–
लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0 जिला कलेक्टर (द्वितीय) अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः–30.04.2019

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के तहत प्रस्तुत प्रा0पत्र दिनांक 26.06.2018 के संबंध में आवेदन में वर्णित बिन्दुवार सूचना चाही गई थी, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वॉछित सूचनाऐं दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वॉछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो **दिनांक 02.04.19** को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ।
5. पत्रावली का अवलोकन किया। उक्त अपील के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रभारी अधिकारी राजस्व प्रकोष्ठ कलक्ट्रेट अलवर को पत्रांक 591 दिनांक 8.4.19 के माध्यम से संबंधी अपील की प्रति संलग्न करते हुऐं, अपील में वर्णित बिन्दूओं पर जवाब चाहा गया था। प्रभारी अधिकारी राजस्व प्रकोष्ठ कलक्ट्रेट अलवर द्वारा इस क्रम में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। जिससे स्पस्ट है कि उनके द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई–जो सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 में व्याप्त निर्देशों की अवेहलना की श्रेणी में आता है। प्रभारी अधिकारी राजस्व प्रकोष्ठ कलेक्ट्रेट अलवर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी की पत्रावली तलाश कराई जाकर यदि चाही गई सूचना देयता की श्रेणी में आती है तो नियमानुसार निःशुल्क उपलब्ध करवावें। अपील अपीलार्थी स्वीकार योग्य है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
6. निर्णय आज **दिनांक 30.04.2019** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(इन्द्रजीत सिंह)
जिला कलक्टर,अलवर
अलवर (राज0)